यु. नं. 79/2017
अमरी बनाम सरकार
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
53, 188, 92 R

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

11.10.2021
आज PO सा के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे/अवकाश/स्थानान्तरण होने से पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही हेतु उनके समक्ष लिस्ट [illegible] 9.12.2021 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

2/11/2021

वादी की ओर से एडवोकेट उमेश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वादपत्र में प्रार्थना पत्र पेश करके आज की तारीख पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से हमारे समक्ष श्री कालीराम व उनके अभिभाषक श्री [illegible] का प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए लिखित रूप में यह पत्र पत्र में कार्यालय व्यस्तताओं के कारण उपस्थित अधिकारी अपने पास रखे रिकार्ड को अंकपत्र की गई भूमि को छोड़कर पुनः उस पत्र को रिकार्ड नवीन पत्र पेश करने की अनुमति चाही है। वादी उनके अभिभाषक तथा कथन किया कि वे उस पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उस पत्र को जारी स्तर पर रिकार्ड किया जाकर नवीन पत्र की अनुमति प्रदान की जाती है। अपने दावों के समर्थन में वादिगण पत्र आपेक्षित पर अपने दस्तावेज/अपना निशानी अंकित किये जिन्हें उनके अभिभाषक ने प्रमाण के पहचान स्वरूप अपने दस्तावेज अंकित किये। चूंकि वादिगण उस पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादिगण का उक्त पत्र जारी स्तर पर रिकार्ड किया जाकर नवीन पत्र की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी [illegible] बोर्ड मध्य से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

RTI Admn
Idar Baleo

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.11.03 14:36:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner